दैनिक भास्कर
बिलासपुर 25-06-2025

आयकर विभाग ने अवैध खनन से मिले जुर्माने पर मांगा था टैक्स, 28 आदेश रद्द

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

छत्तीसगढ़ सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण रायपुर के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच ने कहा है कि अवैध खनन के मामलों में आरोपियों से वसूले गए जुर्माने पर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नहीं वसूला जा सकता। आयकर विभाग ने वर्ष 2018 में जिला खनिज अधिकारी बेमेतरा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर समेत अन्य जिलों के कार्यालय में आयकर अधिनियम की धारा 133A(2A) के तहत टीडीएस सर्वे किया था। इस सर्वे के दौरान यह पाया गया कि खनिज विभाग ने जिन लोगों से अवैध खनन या अवैध परिवहन के मामले में जुर्माना वसूला था, उनसे वसूल की गई राशि पर टीसीएस नहीं काटा गया था। इसके आधार पर विभाग ने राज्य सरकार को डिफॉल्टर करदाता मानते हुए 1 जुलाई 2019 को आदेश जारी कर टीसीएस, ब्याज और पेनल्टी की मांग की। शेष | पेज 3